Capacity Building Training to BLOs and Supervisors

Election Department
Rajasthan

TOPICS COVERED IN THIS PRESENTATION-

- **Electoral Rolls**
- GARUDA BLO App
- Legal and MCC
- General and EVM & VVPAT
- SVEEP
- Accounts

विषय–वस्तु

- बीएलओ का महत्व
- मतदाता सूचियों एवं मतदान केन्द्रो से संबंधित कार्य
  - पुनरीक्षण पूर्व
  - पुनरीक्षण के दौरान
  - पुनरीक्षण पश्चात् किए जाने वाले कार्य
- मतदाता जागरूकता
- चुनाव/उपचुनाव से संबंधित विशेष कार्य

बूथ स्तरीय अधिकारी एवं पर्यवेक्षक

नियुक्ति :– RP Act 1950 की धारा 13 बी (2) के तहत्

भारत निर्वाचन आयोग व मतदाता के मध्य कडी

मतदाता सूची में नाम जोडना/विलोपन/संशोधन द्वारा स्वस्थ मतदाता सूचियां तैयार करना

मतदाता केन्द्रों का सुव्यवस्थिकरण व भौतिक सत्यापन

पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं निरन्तर अद्यतन के दौरान मतदाताओं को जागरूक करना व चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता हेतु प्रोत्साहित

निर्वाचन संबंधी दस्तावेजो व नवीन आदेशों को संधारित करना

प्रशासनिक ढांचा

भारत निर्वाचन आयोग

↓

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

↓

जिला निर्वाचन अधिकारी

↓

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

↓

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

↓

पर्यवेक्षक

बूथ लेवल अधिकारी

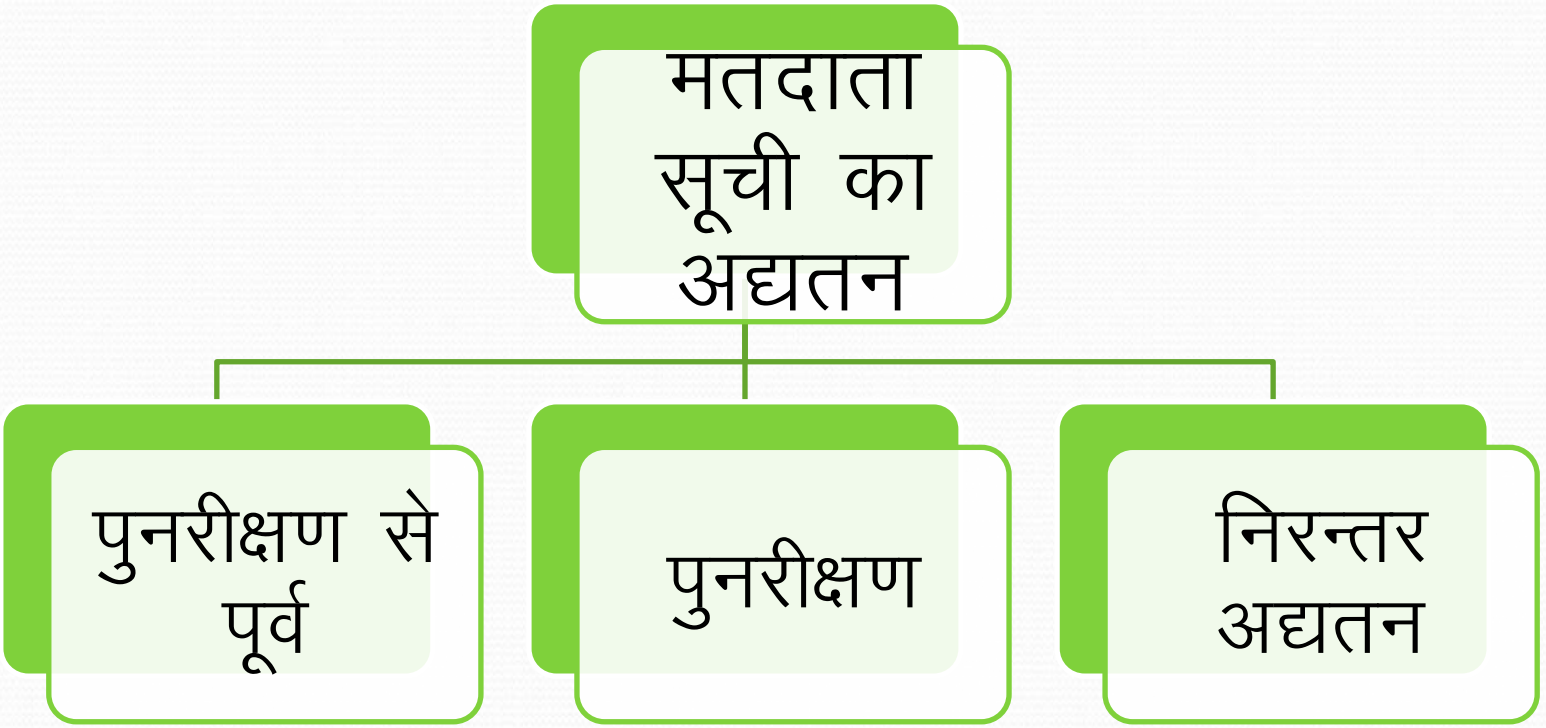
मतदाता सूची का अद्यतन
पुनरीक्षण से पूर्व
पुनरीक्षण
निरन्तर अद्यतन

पुनरीक्षण के पूर्व की कार्यवाही

- एकीकृत मतदाता सूची को यथा संभव सभी मतदाताओं व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से साझा करना
- मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन
- मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण
- कन्ट्रोल टेबल (CT) अपडेट करना
- दोहरी/बहु प्रविष्टियॉं चिन्हित कर निस्तारण की कार्यवाही करना
- पहचान पोर्टल से जन्म, मृत्यु और विवाहित मतदाताओं की सूचना अद्यतन करना
- मतदान केन्द्र के सभी प्रकार के 06 नक्शे वेबसाईट पर अपलोड की जांच करना एवं सही अनुभाग बनाना
- भावी मतदाताओं की जानकारी करना

पुनरीक्षण एवं निरन्तर अद्यतन काल

- निर्वाचक नामावली को अद्यतन करना।
- पुनरीक्षण के दौरान विशेष तिथि को मतदान केन्द्र पर उपस्थित होकर दावे व आपत्ति प्राप्त करना।
- प्रपत्र 6, 6क, 7, 8, 8क, EPIC-001 की जांच कर रिपोर्ट करना
- DSE & Logic Errors का तुरन्त निस्तारण करना
- EPIC का वितरण करना
- पुनरीक्षण अभियान का प्रचार–प्रसार करना एवं प्रत्येक योग्य नव पंजीकृत मतदाता को ई–ईपिक डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करना

महत्वपूर्ण बिन्दु

योजक कड़ी (सम्बन्ध) क्या है

- - कड़ी मुख्यतया संबंध को प्रमाणित करने के लिए है जिसमें एक या अधिक मतदाता के साथ संबंध प्रमाणित होने को कड़ी कहा है।

  आवेदनकर्त्ता का नाम अपने परिवार के साथ ही रखा जायेगा।

यदि कड़ी स्थापित न हो तो

मतदाता निम्न प्रमाणों के आधार पर भी मतदाता सूची में नाम लिखवा सकता है–

- नागरिकता
- आयु का प्रमाण
- सामान्य निवास प्रमाण

विशिष्ट श्रेणियों में अधिवास का सत्यापन

विवाह की दशा में

- आयु प्रमाण – पत्र
- विवाह के पूर्व व पश्चात् का अधिवास का पता।
- पति के नाम को मतदाता सूची में लिंक करना।
- विवाह प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अथवा बी.एल.ओ. आस–पास घरों में जाकर इसकी पुष्टि करेंगे।
- पूर्व मतदाता विवाह पश्चात् आवेदन करें तो प्रपत्र–6 भरवायें एवं पूर्व ईपिक/पते की जानकारी घोषणा में अवश्य प्राप्त करें।

आश्रय विहीन व्यक्तियों की दशा में

- बीएलओ उनके लिखे पते पर रात्रि में जाएगा व पता सत्यापित करेगा। आवेदक वहां सोना (Sleeping) चाहिए।
- बीएलओ को अपनी जांच बिना बताए करनी चाहिए और एक से अधिक बार मौके पर जाकर जांच करें।

विशिष्ठ श्रेणियों में अधिवास का सत्यापन

विद्यार्थियों की दशा में

विद्यार्थी निवास के स्थान पर व अध्ययन के स्थान पर अर्थात् दोनों स्थानों में से एक जगह नाम जुडा सकता है।

यदि अध्ययन वाले स्थान पर नाम जुड़वाने के लिये आवेदन किया जाता है तो जांच करनी है कि अध्ययनरत पाठ्यक्रम कम से कम 1 वर्ष का हो व किसी
केन्द्र/राज्य/बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो।

विद्यार्थी को संस्था प्रधान से घोषणा पत्र लेकर संलग्न करना होगा।

अनाथालय में रहने वालों का पंजीकरण

योग्य व्यक्तियों के नाम के साथ माता–पिता के नाम में अनाथालय का नाम लिखा जावेगा।

योग्य अनाथ को यदि किसी व्यक्ति ने गोद ले लिया है तो गोद लेने वाले माता–पिता का नाम Parents में लिखा जाएगा।

कोई व्यक्ति यदि कोई अनाथ को साथ लाता है तो अनाथालय का नाम लिखा जाएगा।

अन्य अनाथ के माता–पिता के कॉलम में "known by BLO" लिखा जाएगा।

घोषित पद के धारक एवं सांसद/विधायको का पंजीकरण

एक घोषित पद का धारक जो उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, जिसमें वह ऐसा पद धारण करने के लिए सामान्य रूप से निवासी होता, वहॉ भी पंजीकृत हो सकता है।

ईआरओ यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र के MP/MLA/MLC आदि के नाम मतदाता सूची के उस भाग में अवश्य दर्ज हो जहां उनका सामान्यतः निवास है।

मतदाता सूची के प्रकाशन के समय समस्त ईआरओ यह प्रमाण पत्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगें कि उनके क्षेत्र में निवास करने वाले MP/MLA का नाम मतदाता सूची में दर्ज है।

अप्रवासी भारतीयों का नाम जुडवाना

- अप्रवासी भारतीय नागरिक सामान्य अधिवास स्थान को छोडकर रोजगार/अध्ययन के कारण विदेश रहता हो, वह अप्रवासी मतदाता होगा।
- पहले कभी भी नाम मतदाता सूची में नहीं है।
- पासपोर्ट में दर्ज पते वाले भाग सं. में नाम जुडा सकता है।
  इनका नाम मतदाता सूची के अंतिम अनुभाग के पश्चात् पृथक अनुभाग में जुड़ेगा, जो केवल अप्रवासी भारतीयों का अनुभाग होगा।
- बीएलओ को सूचना प्राप्त होने पर प्रपत्र 6क भरने के लिए देगा व आग्रह करेगा कि प्रपत्र 6क/ऑनलाइन आवेदन भरे ।
- अप्रवासी भारतीयों हेतु कोई **ईपिक जारी नहीं होगा।**

मतदान केन्द्र का भौतिक निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान मुख्य बातें :–

- क्या मतदान केन्द्र भाग की सीमा में है ?, भवन सही है ? जर्जर तो नहीं है ?
- निजी भवन/थाना/चिकित्सालय/धर्मशाला /धार्मिक भवन में तो नहीं है ?
- मतदान केन्द्र की दूरी 2 कि.मी. से अधिक ना हो।
- मतदान केन्द्र पर कमज़ोर तबके या अल्पसंख्यक मतदाताओं को मत देने से ना रोका जाता हो ।
- मतदान केन्द्र भूतल के अतिरिक्त अन्य किसी भी तल पर हो।
- मतदान कक्ष 20 वर्ग मीटर से कम में नहीं होना चाहिए तथा कम से कम 200 वर्ग फुट का कमरा होना चाहिये। कमरे में दो दरवाजे होने चाहिए।
- मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी राजनैतिक दल का कार्यालय ना हो।
- मतदान केन्द्र में आश्वस्त मूलभूत सुविधायें यथा बिजली, पानी, टेलीफोन, फर्नीचर, शौचालय, छाया, रैम्प आदि (AMF) की व्यवस्था हो।
- मतदान केन्द्र तक पहुॅचने में मतदाता को नदी/नाले इत्यादि तो नही आ रहे हो।
- मतदान केन्द्र के सभी प्रकार के 06 नक्शे वेबसाईट पर अपलोड हो।

मृत/स्थानान्तरित मतदाताओं के प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही

- पंजीकृत मृत्यु के प्रकरणों में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 23/2021-ERS दिनांक 02.08.2021 द्वारा मतदाता सूचियो से मृत मतदाताओं के नाम हटाने के संबंध में निर्देश जारी किए है। जिसके अनुसार ग्राम सेवक, नगरपालिका एवं जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त मृत्यु प्रमाण–पत्र अथवा फील्ड सत्यापन के आधार पर **ईआरओ** द्वारा बिना प्रपत्र–7 के Suomoto नाम विलोपित किया जा सकता है।
- स्थायी रूप से Shifted मतदाताओं के संबंधी से प्रपत्र 7 भरवाना अथवा सूची बनाकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करते हुये कार्यवाही करना।

Replacement EPIC के संबंध में दिशा–निर्देश

- Replacement ईपिक हेतु प्रपत्र–001 भरा जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 23/ID/2021-ERS दिनांक 22.06.2021 द्वारा 25/– रू के शुल्क को समाप्त कर Replacement ईपिक **निःशुल्क** बनाये जाने के निर्देश दिये गये है।
- प्रपत्र 6, 8 व 8क के साथ भी यदि नया ईपिक बनवाना हो तो प्रपत्र–001 भरा जायेगा।
- पुराना ईपिक भी ईआरओ कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।
- 10 अंको की नवीन सीरीज वाला Replacement ईपिक उसी ईपिक नं0 से जारी होगा और पुरानी सीरीज (यथा RJ/….) का Replacement ईपिक 10 अंको के नये ईपिक नं0 से जारी होगा।

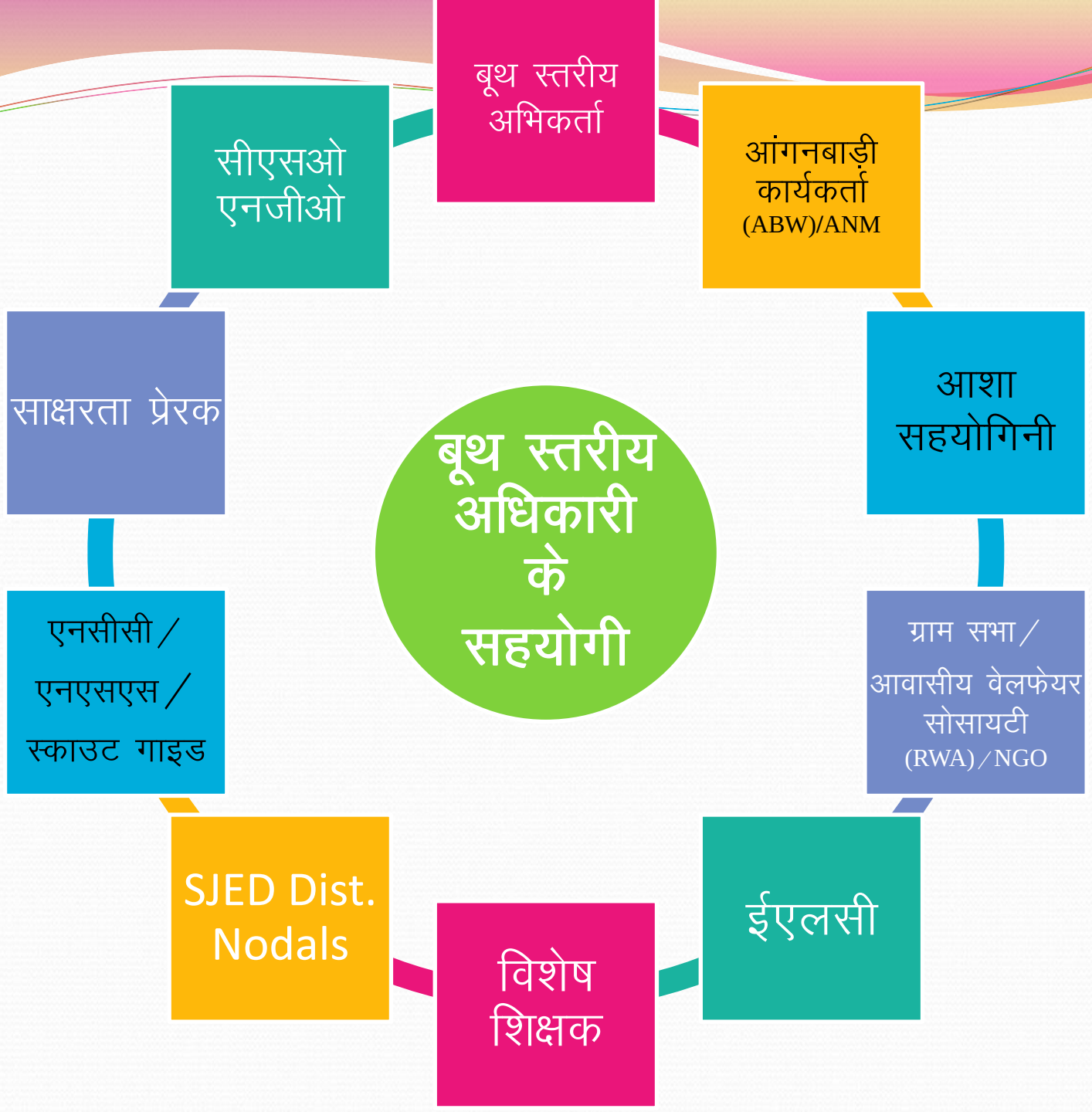
बूथ स्तरीय अधिकारी के सहयोगी
बूथ स्तरीय अभिकर्ता
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (ABW)/ANM
आशा सहयोगिनी
ग्राम सभा / आवासीय वेलफेयर सोसायटी (RWA) / NGO
ईएलसी
विशेष शिक्षक
SJED Dist. Nodals
एनसीसी / एनएसएस / स्काउट गाइड
साक्षरता प्रेरक
सीएसओ एनजीओ

ICE Breaker

Count the Circles

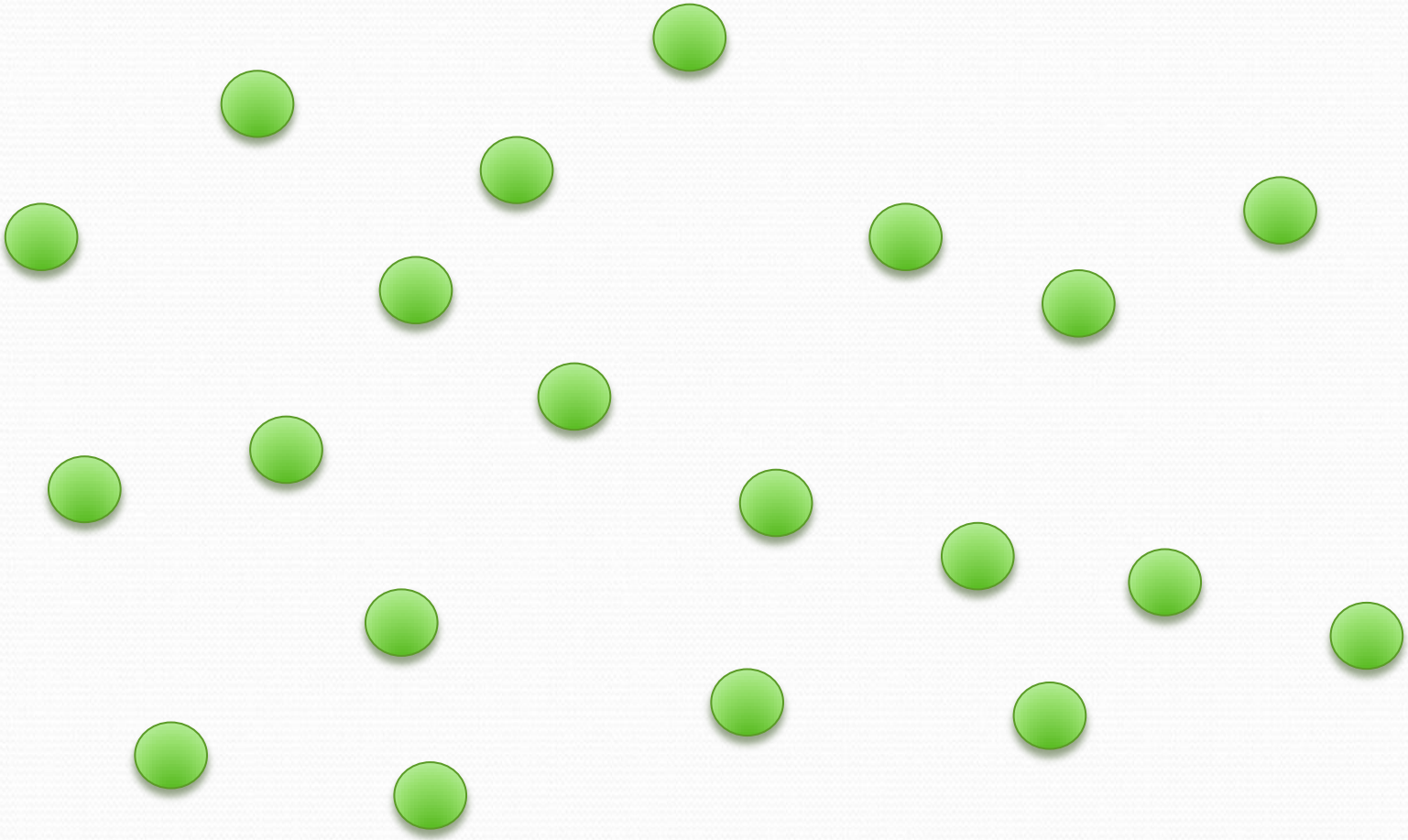

Now count the circles

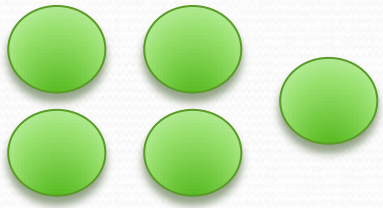

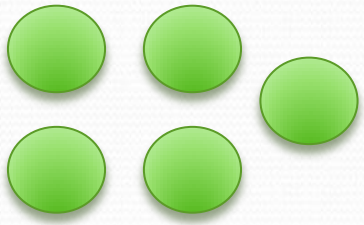

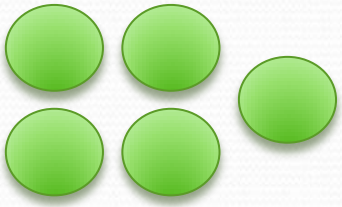

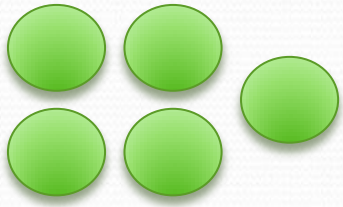

आप प्रत्येक कार्य को तरीके से करके,
सरलता पूर्वक
पूर्ण कर सकते हैं।

चुनाव/उपचुनाव से पूर्व किये जाने वाले विशेष कार्य

- मतदाताओं को अधिकाअधिक ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग हेतु प्रेरित करना
- भावी मतदाता, मृत, नवविवाहित, विशेषयोग्यजन, 80+ मतदाता, एएसडी सूची की विशेष जानकारी
- Age Cohort, Gender Ratio, EP Ratio
- Migration, Industrial Area, New colonies, labours, Cantonment Areas
- भौतिक सत्यापन कर AMF सुविधाओं की जॉच
- ECI निर्देशानुसार 1000 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों पर सहायक मतदान केन्द्रों के गठन की कार्यवाही करना
- मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रयास सतत रूप से करना
- सभी प्रकार के फॉर्मस व नवीनतम निर्देशों की प्रति संधारित करना

निर्वाचक नामावली पर केस अध्ययन

केस – 1

एक परिवार में सरिता पुत्र वधू का नाम सूची में परिवार के साथ है। परिवार का कोई सदस्य बूथ स्तरीय अधिकारी को प्रपत्र 7 भरकर कहता है कि सरिता अब परिवार के साथ नहीं रहती। यद्यपि उसका औपचारिक तलाक नहीं हुआ है किन्तु वह यहां पर नहीं रहती है। इसलिए उसका नाम वोटर सूची में से हटाएं।

बूथ स्तरीय अधिकारी को क्या करना चाहिए ?

उत्तर:–बूथ स्तरीय अधिकारी को मौके पर जांच करनी चाहिए वह वहां रहती है अथवा नहीं। इस संबंध में पडौसियों से भी जानकारी करनी चाहिए।

निर्वाचक नामावली पर केस अध्ययन

केस – 2

(i) एक बीएलओ उसके क्षेत्र के अनाथ आश्रम गया। वहां उसने रमेश नाम व्यक्ति को देखा व जाना कि वह मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की योग्यता रखता है किन्तु रमेश अपनी मॉ–बाप के नाम बताने की स्थिति में नहीं है।

(ii) चिन्मय, एक व्यक्ति ने अपनी माता का नाम बता दिया।

अब बीएलओ संबंधी के नाम क्या व संबंध कौन–सा अंकित करेगा ?

उत्तरः–दोनों प्रकरणों में संबंधी के नाम के समक्ष अनाथाश्रम का नाम व संबंध के कालम में ''अन्य'' लिखा जाएगा।

निर्वाचक नामावली पर केस अध्ययन

केस – 3

किसी आश्रम/अखाडे में एक साधू/सन्त नाम जुडवाने का पात्र है। उसका कोई सांसारिक नाम नहीं है। वह अपने नाम के साथ गुरू का नाम जुडवाना चाहता है।

अब बीएलओ को क्या करना चाहिए ?

उत्तरः–साधू का नाम उसके गुरू के नाम के साथ अर्थात् स्वंय का नाम तथा संबंधी के नाम में गुरू का नाम व संबंध – गुरू अंकित किया जाएगा।

निर्वाचक नामावली पर केस अध्ययन

केस – 4

एक निर्वाचक भाग संख्या 35 का निर्वाचक है एवं उसने अपना अधिवास बदल कर भाग संख्या 22 में परिवर्तित कर लिया है।

अब बीएलओ द्वारा क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तरः–बीएलओ द्वारा प्रपत्र 8क भरवाकर भाग संख्या 35 से प्रविष्ठि हटाकर भाग संख्या 22 में प्रविष्ठि जुडेगी।

निर्वाचक नामावली पर केस अध्ययन

केस – 5

एक व्यक्ति ने बीएलओ को सूचना के अधिकार के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि जितने भी प्रपत्र 6, 7, 8 आए हैं उनकी प्रति दें।

अब बीएलओ द्वारा क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तरः–सूचना के अधिकार के तहत् लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी है। आवेदन उन्हें ही किया जाना होगा। बीएलओ आवेदन नहीं लेगा, आवेदक को कहेगा कि ईआरओ कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें।

यदि आवेदक बीएलओ को ही आवेदन देता है तो बीएलओ उस आवेदन पत्र को ईआरओ के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

निर्वाचक नामावली पर केस अध्ययन

केस – 6

नज़मा ने प्रपत्र 6 भरा। उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया और उसका फोटो पहचान पत्र बन गया। फोटो पहचान पत्र लेकर बीएलओ नज़मा के घर गया और उसे EPIC देना चाहा तो नज़मा ने उसे लेने से इन्कार कर दिया। कारण बताया कि वर्तनी अशुद्धि है।

अब बीएलओ द्वारा क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तरः—बीएलओ को चाहिए कि संशोधन हेतु प्रपत्र भरवाए उसके पश्चात् नया EPIC लेकर नज़मा को प्रस्तुत करें।

निर्वाचक नामावली पर केस अध्ययन

केस – 7

नरेश, सुरेश के मकान में किराए से रहा रहा है। नरेश ने प्रपत्र 6 भरकर बीएलओ को दिया। मकान मालिक सुरेश ने एक पत्र ईआरओ को दिया कि नरेश का नाम मतदाता सूची में नहीं जोडा जाए व उसे EPIC भी नहीं दिया जाए। ईआरओ ने शिकायत बीएलओ को जांच हेतु दी।

अब बीएलओ द्वारा क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तरः—बीएलओ को मौके पर जाकर जांच करनी चाहिए कि आवेदक उक्त पते पर कब से रह रहा है। यदि नरेश उक्त पते पर विगत 6 माह से अधिक समय से रह रहा है तो उसका नाम जुडेगा एवं EPIC भी बनेगा।

निर्वाचक नामावली पर केस अध्ययन

केस – 8

एक मोहल्ले में बीएलओ की विज़िट के दौरान ज्ञात हुआ कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है। कुछ के नाम मतदाता सूची में तो हैं लेकिन फोटो नहीं है। कुछ लोगों के नाम के सम्मुख EPIC No. लिखे हैं लेकिन सत्यापन के लिए एपिक उपलब्ध नहीं है।

अब बीएलओ द्वारा क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तरः–जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनको प्रपत्र–6 भरवाना चाहिए। जिनकी फोटो नहीं है उनकी फोटो एकत्रित करके उनके EPIC बनवाकर बंटवाने चाहिए। जिनको EPIC बनकर दिया जाना बताया है उनके Duplicate EPIC बनवाकर वितरित किये जाने चाहिए।

कुछ मुख्य बिन्दु

बीएलओ उनके द्वारा संधारित किये जा रहे बीएलओ रजिस्टर की पूर्तियॉ नियमित रूप से करेगें।

बी.एल.ओ. मतदाता को फोटोपहचान पत्र का वितरण करेगें एवं अवितरित फोटोपहचान पत्र पुनः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को सुपुर्द करेगें।

बीएलओ मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने हेतु प्रयास करेगें –

– ईआरओ/एईआरओ द्वारा दी गई चैकलिस्ट की पूर्ण जांच करें।
– प्रमाणित / तुलना की गई प्रति को हस्तलिखित/फोटोग्राफ से मिलान करें।
– प्रत्येक प्रमाणित पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें
– प्रत्येक पहचान पत्र के नम्बर का मिलान मतदाता सूची के अनुसार करें।
– मूल सूची व पूरक सूची में डाटाबेस के अनुसार मिलान करें।
– मतदाता सूची के अन्त में प्रमाणीकरण का प्रमाण–पत्र लगावें।

धन्यवाद